

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठारीन अधिकारी भागीरथराम चौधरी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नंबर

द्वि दिनांक

दिनांक दिनांक

41 - 16

27.09.2026

08/5/24

प्राप्ती

वर्नाम

अप्रार्थन

अर्जुनलाल




दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान कारतकार नियम

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में दिनांक 18.9.2020 का प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित कर तहसीलदार शेरगढ को प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट बाबत लिखा गया। तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 05.04.2024 का प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट पेश की गई। प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्राप्त प्रस्तावित बटवाडा अनुसार खातेदारों के मध्य बटवाडा निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	फिसल लक्षण
1	शिवाराम, कालूराम, मालाराम पि. डूगरराम, नीखीदेवी पत्नी डूगरराम जाति मेगवाल सा.गड्डा खातेदार	615	15.16	वा.।।
2	अर्जुनलाल पि. नरसीगाराम जाति मेगवाल सा. गड्डा खातेदार	615	15.15	वा.।।
3	जसाराम, रामूराम पि. माधाराम जाति मेगवाल सा. गड्डा खातेदार रहन जसाराम रामूराम का हिस्सा ओबीसी शाखा बालेसर	615	15.16	वा.।।
4	श्रवणराम गजन्द्र प्रसाद पि. गोविन्दराम, लाछादेवी पत्नी गोविन्दराम जाति मेगवाल सा. गड्डा खातेदार रहन श्रवणकुमार व लाछादेवी का हिस्सा ओबीसी शाखा बालेसर	615	15.16	वा.।।

प्रस्तावित बटवाडा रिपोर्ट अनुसार आंशिक डिक्री जारी की जाती है।



राजस्थान न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी  
शेरगढ (जोधपुर)